



यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVNLimited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, "उज्ज्वल" महारानीबाग, जी०एम०एस०रोड, देहरादून-248006 (उत्तराखण्ड), दूरभाष-0135-2763808, फैक्स सं० 0315-276350  
Office of Managing Director, UJVNLimited, "Ujjwal", Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun-248006 (Uttarakhand)  
Phone-01352763808, Fax-0135-2763508 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

पत्रांक 796/यूजेवीएन लि०/प्र०नि०/W-1

दिनांक 10/02/2025

### कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 1199 दिनांक 25.09.2017 के द्वारा शासन की वेतन मैट्रिक्स में दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतनमान एवं 10,20,30 वर्ष की सेवा पर एम०ए०सी०पी० (MACP) की स्वीकृति प्राप्त होने पर सातवें वेतनमान में कार्मिकों के वेतन निर्धारण किये गये। कर्मचारी संगठनों/यूनियन की मांग पर शासनादेश संख्या 12/ (2) /2021-06 (2)-02 / 2015 टीसी-1 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा दिनांक 01.01.2016 से वेतनमान की स्वीकृति एवं दिनांक 31.12.2016 से वर्तमान समय में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा में प्रतिकूल परिवर्तन न किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2016 तक लागू ए०सी०पी० की व्यवस्था को सीधी भर्ती (Induction Post) की नियुक्ति तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में प्रचलित व अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स में (नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत् अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त शासनादेश के अनुक्रम में यूजेवीएन लिमिटेड की वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण किये जाने पर 42 सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा मा० लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में याचिका संख्या-15 (S/B)/2024 दायर की गयी है।

उक्त याचिका में मा० लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनांक 01.03.2024 को दिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या 4 एवं 5 के अनुसार प्रकरण को निस्तारित करने हेतु निम्न प्रकार आदेशित किया गया है।

4. It is cardinal principal of law that similar cases should be decided alike. If, case of present petitioners is in parity with the case of petitioners of claim petition no. 37/SB/2022, then, every petitioner of present claim petition may be given opportunity by the respondents, either to opt for pay fixation with MACP according to the G.O.s dated 25.09.2017 and 22.12.2017 or opt for ACP and pay fixation according to G.O dated 06.01.2022 and Uttarakhand Jal Vidyut Nigam's Office Memorandum dated 15.03.2022.

5. The Tribunal directs that such option may be sought from every petitioner (of present claim petition), within 12 weeks of presentation of certified copy of this order and decision on fixation of pay and applicability of MACP of ACP to the petitioners may be taken accordingly.

उक्त याचिका में दिनांक 01.03.2024 को माननीय लोक सेवा अधिकरण द्वारा आदेशित किया गया है कि यदि वर्तमान याचिकाओं का प्रकरण पूर्व याचिका संख्या-37(S/B)/2022 के याचिकाओं के समान है, तो याचिका संख्या 15(S/B)/2024 के याचिकाओं को शासनादेश संख्या 1199 दिनांक 25.09.2017 एवं शासनादेश संख्या 1585 दिनांक 22.12.2017 के अनुसार M.A.C.P के अर्न्तगत वेतन निर्धारण अथवा शासनादेश संख्या 12 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार A.C.P के अर्न्तगत वेतन निर्धारण का विकल्प मांग कर वेतन निर्धारण किये जाएं।

क्रमशः...2...

पूर्व याचिका संख्या—37(S/B)/2022 में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनांक 27.09.2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं :-

8.7 "In view of the above, it shall be in the fitness of the things that every petitioner be asked by the respondents to either opt for pay fixation with M.A.C.P. according to the G.O.s dated 25.09.2017 and 22.12.2017 or opt for A.C.P. and pay fixation according to G.O. dated 06.01.2022 and UJVNL office memorandum dated 15.03.2022. The Tribunal hereby directs that such option may be sought from every petitioner within a period of three months of this order and action for fixation of pay applicability of ACP or MACP to him/her be taken accordingly.

दिनांक 27.09.2023 को पारित आदेश में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा याचीगणों को शासनादेश संख्या 1199 दिनांक 25.09.2017 एवं शासनादेश संख्या 1585 दिनांक 22.12.2017 के अनुसार MACP के साथ वेतन निर्धारण अथवा शासनादेश संख्या 12 दिनांक 06.01.2022 के अनुक्रम में यूजेवीएन लिमिटेड के आदेश संख्या 604 दिनांक 15.03.2022 के अनुसार ACP के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का विकल्प मांग कर वेतन निर्धारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार उक्त दोनों याचिकाओं में मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में Review Application दायर की गयी। उक्त सम्बन्ध में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनांक 08.10.2024 को दिये गये निर्णय में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं।

4. Review applications for reviewing the order dated 27.09.2023 passed in Claim Petition No.37/SB/2022, Ashok Kumar Joshi & others and order dated 01.03.2024 passed in Claim Petition No. 15/SB/2024 Dharendra Singh Rawat & others have also been dismissed today, inasmuch as there is no error apparent on the face of record or any clerical/arithmetical mistake or for any other sufficient reason.
5. Keeping in view the facts noted above, the Tribunal reiterates its order passed in Claim Petition No. 15/SB/2024 Dharendra Singh Rawat & Others vs. state of Uttarakhand & others on 01.03.2024, with a direction to the Respondent Corporation to implement the same as expeditiously as possible and without unreasonable delay.
6. The execution application thus stands disposed of, at the admission stage, with the directions as above

मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून के दिनांक 27.09.2023 एवं दिनांक 08.10.2024 को दिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त याचिका के याचीगणों से शासनादेश संख्या 1199 एवं 1585 के अनुसार MACP के साथ वेतन निर्धारण अथवा शासनादेश संख्या 12 दिनांक 06.01.2022 के अनुक्रम में यूजेवीएन लिमिटेड के आदेश संख्या 604 दिनांक 15.03.2022 के अनुसार ACP के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का विकल्प मांगा गया। निर्धारित तिथि 15.12.2024 तक समस्त 42 याचीगणों के विकल्प पत्र प्राप्त हो चुके हैं, जिसका विवरण निम्नवत है :-

याचिका संख्या 15 (S/B)/2024 के याचीगणों का विवरण

याचीगणों की संख्या	GOU की वेतन मैट्रिक्स के साथ MACP का विकल्प देने वाले कार्मिक	UJVNL की लागू वेतन मैट्रिक्स के साथ ACP का विकल्प देने वाले कार्मिक	शासनादेश दिनांक 06.01.2022 से पूर्व सेवानिवृत्त एवं 03 ACP का लाभ लेने वाले कार्मिक	शासनादेश दिनांक 06.01.2022 के पश्चात सेवानिवृत्त एवं 03 ACP का लाभ लेने वाले कार्मिक	टिप्पणी
42	42	0	37	05	सभी कार्मिक 03 ACP का लाभ ले चुके हैं।

याचिका संख्या 15(S/B)/2024 के समस्त सेवानिवृत्त 42 याचीगणों ने शासनादेश संख्या 1199 एवं 1585 के अनुसार MACP के साथ वेतन निर्धारण हेतु विकल्प दिया है। कुल 42 याचीगणों में से 37 याचीगण शासनादेश संख्या 12 दिनांक 06.01.2022 निर्गत होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं अर्थात् शासन की वेतन मैट्रिक्स में अन्तिम आहरित वेतन के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। 05 याचीगण शासनादेश संख्या 12 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड की वेतन मैट्रिक्स लागू होने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं अर्थात् यूजेवीएन लिमिटेड की वेतन मैट्रिक्स में अन्तिम आहरित वेतन के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

यूजेवीएन लिमिटेड के पत्र संख्या 41 दिनांक 14.12.2017 के द्वारा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार यूजेवीएन लिमिटेड के वेतनमान एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण का प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया। उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1199 दिनांक 25.09.2017 के द्वारा शासन की वेतन मैट्रिक्स में सातवें वेतनमान एवं MACP (10,20,30) की स्वीकृति प्रदान की गयी।

कर्मचारी संगठनों की मांग पर दिनांक 31.12.2016 तक लागू ACP (09,14,19) की व्यवस्था को पूर्व में प्रचलित व अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स में (नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत् अनुमन्य कराये जाने हेतु यूजेवीएन लिमिटेड के निदेशक मण्डल से पारित प्रस्ताव पत्र संख्या 5412/यूजेवीएनलि/प्र0नि0 दिनांक 13.08.2019 के द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया। इसी प्रकार के प्रस्ताव दोनों अन्य ऊर्जा निगमों, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड (पिटकुल) से भी निदेशक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त शासन को प्रेषित किये गये, जिसका उल्लेख शासनादेश संख्या 12 दिनांक 06.01.2022 में किया गया है।


तीनों निगमों के निदेशक मण्डल से पारित प्रस्ताव के अनुसार उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 12 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा ऊर्जा निगमों में दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान एवं दिनांक 31.12.2016 तक लागू ACP (09,14,19) को पूर्व में प्रचलित व अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स में दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत् लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अनुपालन में ऊर्जा निगमों के कार्मिकों के वेतन निर्धारण किये गये हैं। मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 24.09.2023 में शासन के उक्त आदेश दिनांक 06.01.2022 को कार्मिकों के दीर्घकालीन लाभों के दृष्टिगत उचित ठहराते हुये निम्न टिप्पणी की गयी है :-

8.6 "It is clear from the above that the pay scales as given by G.O. dated 22.12.2017 can not be continued with the ACP scheme. The Tribunal holds that the G.O. dated 06.01.2022 (Annexure: A1) and the UJVNL office memorandum dated 15.03.2022 have been issued in right earnest in the overall and long-term interest of the UJVNL employees."

याचिका संख्या 15(S/B)/2024 के समस्त याचीगण पूर्व में ही पांचवें एवं छठे वेतनमान में ए0सी0पी0/समयबद्ध वेतनमान (09,14,19) का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, पांचवें एवं छठे वेतनमान में पूर्ववत्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद/यूजेवीएन लिमिटेड के वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स) लागू थे। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं 08.10.2024 को पारित निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि उपरोक्त 42 सेवानिवृत्त याचीगणों का MACP (10,20,30) के साथ शासन की वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

निष्कर्ष :-

उक्त तथ्यों के आधार पर मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 08.10.2024 को पारित निर्णय के अनुपालन में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि याचिका संख्या 15(S/B)/2024 के समस्त 42 सेवानिवृत्त याचीगण पांचवें एवं छठे वेतनमान में तीनों ACP (09,14,19) का लाभ ले चुके हैं। पांचवें एवं छठे वेतनमान में पूर्ववत्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद/यूजेवीएन लिमिटेड के वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स) लागू होने के कारण याचीगणों का MACP (10,20,30) के साथ शासन की वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून के आदेश दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 08.10.2024 के अनुपालन में याचिका संख्या 15(S/B)/2024 के याचीगणों के प्रकरण का एतद्वारा निस्तारण किया जाता है।

  
6.2.25  
(डा0 संदीप सिंघल)  
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक (मा0सं0), यूजेवीएन लिमिटेड, उज्ज्वल, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून ।
2.  सचिव महाप्रबन्धक (आई0टी0), यूजेवीएन लिमिटेड, उज्ज्वल, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून को निगम की वेब साईड पर अपलोड करने हेतु।
3. श्री धीरेन्द्र सिंह रावत सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक भद्रकाली इन्क्लेव, फेस-1, गली नं-6, अपर तुनवाला, देहरादून (41 अन्य याचीगण कृपया उपरोक्त आदेश की प्रति निगम वेब साईड से प्राप्त कर सकते हैं)।